

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी / 19 / 971

दिनांक: 28/1/20

आदेश

निर्देशानुसार नगर परिषद/पालिका, हनुमानगढ़ एवं निम्बाहेडा में पैरवी की स्थायी व्यवस्था हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर अग्रिम आदेशों तक के लिए पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है:-

क्र.स.	अधिवक्ता का नाम	संबंधित नगर परिषद/पालिका का नाम
1.	श्री मारुफ पंवार, एनरोलमेन्ट नं. आर/2579/14	नगर परिषद, हनुमानगढ़।
2.	श्री लक्ष्मण सिंह सोलंकी, एनरोलमेन्ट नं. आर/2955/2007	नगरपालिका, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़।

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान संबंधित नगरीय निकाय से देय होगा। उक्त आदेश पद रिक्त होने पर ही लागू होगा।

28/1/20
(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी / 19 / 972- 984

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक: 29-1-2020
30-1-2020

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज: जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर/उदयपुर।
05. सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, हनुमानगढ़ व निम्बाहेडा।
06. श्री एडवोकेट मार्फत, नगर परिषद/पालिका, हनुमानगढ़ व निम्बाहेडा।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामशी